

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की व्यवहारिक प्रासंगिकता का अध्ययन : वाराणसी एवं आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के संदर्भ में ।

Mira

Research Scholar Singhania University, Pachari Bari, Jhunjhunu (Rajasthan)

. Dr. Rajpal Singh Yadav

Supervisor Asst. Professor, Singhania University, Pachari Bari, Jhunjhunu (Rajasthan)

1. प्रस्तावना :-

RTE अधिनियम (2009) ने भारत में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को संवैधानिक-समान महत्व दिया। कानून का उद्देश्य केवल विद्यालयी पहुँच सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, समावेशन और बच्चों के लिए सुरक्षित-अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने पर भी केंद्रित है। अधिनियम ने निजी स्कूलों में सामाजिक समावेशन बढ़ाने के लिए “25% आरक्षण” की अनिवार्यता भी रखी (यानी निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़े वर्ग के बच्चों का अनिवार्य नामांकन)। यह कानूनी फ्रेमवर्क नीतिगत उपलब्धि थी परंतु उसकी कार्यान्वयन-कठिनाइयाँ विभिन्न स्तरों पर सामने आती हैं: वित्तपोषण, स्कूल अनुपालन, पहचान व सत्यापन, और एडमिशन-फॉलो-थ्रू।

2. कानूनी तथा संस्थागत ढाँचा :-

1. **कानून का पाठ:** RTE Act 2009 का शाब्दिक पाठ और उसके प्रावधान (आयु-समूह, प्रवेश-नीति, अनिवार्य अनुपालन मानक, 25% आरक्षण आदि) केंद्र/राज्य और जिला स्तर पर लागू होते हैं।
2. **डेटा और निगरानी:** Unified District Information System for Education (UDISE+) और PGI-D जैसे सूचनात्मक तंत्र शिक्षा-सेक्टर के आँकड़े उपलब्ध कराते हैं — स्कूल संख्या, नामांकन, शिक्षक-शक्ति, अवसंरचना आदि। ये योजनात्मक फैसलों और मूल्यांकन के लिए आधार बनते हैं।
3. **राज्य-स्तरीय पोर्टल/प्रक्रिया:** कुछ राज्यों ने ऑन-लाइन एडमिशन/लॉटरी और मॉनिटरिंग पोर्टल विकसित किये हैं (उदा. उत्तर प्रदेश का RTE पोर्टल) जिससे एडमिशन/लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी निर्देशित करने का प्रयास हुआ। परंतु ऑन-ग्राउंड अनुपालन अलग मुद्दा है।

3. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य esa उपलब्धियाँ और सीमाएँ :-

RTE ने स्कूल पहुँच और नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है — भारत में प्राथमिक शिक्षा के दायरे में बच्चों का समावेशन बढ़ा, और सरकारी डेटा संग्रह/मानकीकरण (UDISE+) ने शैक्षिक संकेतकों का विश्लेषण सुलभ किया। पर चुनौतियाँ भी स्पष्ट हैं:

- कई क्षेत्रों में कक्षा-अनुपात, प्रशिक्षित शिक्षक और अवसंरचना का अभाव बना रहा। (UDISE+ रिपोर्टें इस असमानता को दर्शाती हैं)।
- 25% आरक्षण का फायदा पाने वाली सीटों और वास्तविक नामांकनों के बीच अंतर — आवेदन अधिक होते हैं पर प्रवेश-प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण, और स्कूलों की गैर-सहयोगिता के कारण कई बच्चों को वास्तविक में प्रवेश नहीं मिलता। यह समस्या विभिन्न राज्यों के समाचार में बार-बार दिखी है।

4. उत्तर प्रदेश ds lanHkZ esa :-

उत्तर प्रदेश (UP) जनसंख्या और स्कूल-नेटवर्क के हिसाब से बेहद बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE कार्यान्वयन के लिये ऑन-लाइन प्रणालियाँ और निधि-रहन नीति अपनायीं; वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सत्रों में राजकीय स्तर पर लाखों आवेदन और नामांकन प्रक्रिया के आँकड़े सामने आये। हालाँकि, बड़े संख्या के साथ प्रशासनिक जटिलताएँ, देरी से भुगतान (reimbursement), और कई निजी स्कूलों का अनुपालन न करना जैसी चुनौतियाँ भी जटिलता बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिये यूपी सरकार ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की फीस के भुगतान के लिये रणनीतियाँ अपनाईं पर सत्यापित भुगतान/रोकड़ समस्याएँ समाचार में उठती रहीं।

5. okjk.klh ds lanHkZ esa :-

(क) **जनसंख्या व आवेदन-प्रवृत्ति:** 2025 के आरटीई पंजीकरण-राउंड में वाराणसी जिले से बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आए — विस्तृत रिपोर्टों के मुताबिक वाराणसी 2025 रजिस्ट्रेशन-राउंड में उच्च आवेदक-संख्या वाले जिलों में उपरी पंक्ति पर था (उदाहरण के तौर पर उस सत्र में वाराणसी के ~10,278 आवेदक दर्ज हुए)। ये संकेत देते हैं कि शहरी-क्षेत्र तथा पास के ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और आवेदन-दबाव भी।

(ख) **कार्यान्वयन अनुभव व चुनौतियाँ:**

- अनुपालन: निजी स्कूलों की भागीदारी और वास्तविक नामांकन के बीच अन्तर — कुछ निजी संस्थान paperwork, कक्षीय-क्षमता या परिचालन कारणों से आरटीई के तहत छात्रों का नामांकन सीमित रखते हैं।
- अवसंरचना: वाराणसी में शहरी-ग्रामीण मिश्रित सेटिंग में सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता और अवसंरचना का विषमतापूर्ण वितरण देखा जाता है — जहाँ कुछ सरकारी स्कूल अच्छे स्तर पर हैं, वहीं कई छोटे सरकारी/अनाधिकृत संस्थान कमजोर स्थिति में हैं। (स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई और निरीक्षण के समाचार भी समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं)।

(ग) **सकारात्मक पहलें:** ऑन-लाइन लॉटरी, जिला-स्तरीय निगरानी और UDISE+ के बेहतर डैशबोर्ड ने वाराणसी में नीतिगत निर्णयों को डेटा-आधारित बनाने का कारण दिया। पर यह भी देखा गया कि जब आवेदन बहुत बढ़ते हैं तो सत्यापन-प्रक्रिया और स्कूलों में सीट-प्रबंधन में चूकें हो सकती हैं।

6. आजमगढ़ ds lanHkZ esa :-

(क) **स्थानीय परस्थितियाँ और मुद्दे:** आजमगढ़ जिले के संदर्भ में 2025 के सत्र में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरटीई के तहत चयनित बच्चों में से कई का विद्यालयों में प्रवेश नहीं हो पाया — स्थानीय रिपोर्ट ने संकेत दिया कि चयनित ~697 बच्चों का प्रवेश विलंबित/अपूर्ण रहा, और विभागीय लापरवाही तथा स्कूल-संचालकों की मनमानी कारणों में उठी। ऐसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ऑन-लाइन लॉटरी/चयन के बावजूद ऑन-ग्राउंड प्रवाह (सूची भेजना, स्कूलों द्वारा प्रवेश करना, अभिभावकों को सूचित करना, दस्तावेजों की स्वीकृति) में गंभीर बाधाएँ हैं।

(ख) **मस्जिद/मदरसा सम्बन्धी जाँचें और प्रभाव:** आजमगढ़ में मदरसा/अनाधिकृत संस्थानों के ऊपर कार्रवाइयों की खबरें भी उभरीं; ऐसे माहौल ने शिक्षा के समावेशी वितरण और निगरानी संरचनाओं पर प्रश्न उठाए हैं (यह प्राथमिक रूप से स्थानीय प्रशासन/नियंत्रण की दक्षता तथा संस्थागत मान्यता की समस्या से जुड़ा है)। यह भी दर्शाता है कि शिक्षा-प्रणालियों में मान्यता/निगरानी का भौतिक अनुपालन बच्चों के लाभ पर कैसा असर डालता है।

(ग) **व्यावहारिक परिणाम:** चयनित पर प्रवेश नहीं मिलना बच्चों के शैक्षिक वर्ष खोने, अभिभावकों के बीच असमंजस और बच्चों की शैक्षिक समेकन में बाधा का कारण बनता है। यह RTE अधिनियम के उद्देश्य के सीधे विरुद्ध है — क्योंकि अधिनियम का लक्ष्य “समय पर और उम्र-अनुपात में शिक्षा” सुनिश्चित करना था। स्थानीय शासन-प्रणाली में सुधार आवश्यक है।

7. ऑकड़ों का विश्लेषण :-

1. **प्राथमिक नामांकन व अनुपात:** UDISE+ रिपोर्ट दिखाती है कि स्कूली पहुँच और नामांकन में सुधार हुआ है, पर क्षेत्रीय असमानताएँ बरकरार हैं — कुछ जिलों में नामांकन धीरे-धीरे गिरते दिखते हैं या नवप्रवेश में रुकावट आती है।
2. **शिक्षक-प्रशिक्षण व अनुपात:** कई जिलों में शिक्षक-शक्ति की कमी, अयोग्य शिक्षकों की उपस्थिति, और प्रशिक्षित आरटीई-स्टैंडर्ड्स का पालन न होना समस्याएँ रहीं। UDISE+ और ASER रिपोर्ट्स इन बिंदुओं को रेखांकित करती हैं।
3. **25% आरक्षण — आवेदन बनाम प्रवेश:** UP के 2025 सत्र में बड़ी संख्या में आवेदन हुए पर असाइनमेंट/एडमिशन में अंतर दिखा — सम्पूर्ण नामांकन का प्रतिशत अपेक्षित से कम निकला, और राज्य-स्तर पर भी कुछ हजार के स्तर पर बच्चों का प्रवेश लंबित रहा। यह वित्तीय-रक्रंब (reimbursement), स्कूल-सहयोग की कमी और प्रशासनिक देरी से जुड़ा पाया गया।

8. कारणों का विश्लेषण :-

1. **प्रशासनिक जटिलताएँ:** ऑन-लाइन पंजीकरण के बाद स्थानीय स्तर पर सूची/सूचना का समय पर प्रसंस्करण नहीं होना; बीईओ/डीईओ स्तर पर समन्वय की कमी; स्कूलों की सूची न भेजना/लेना। (आज़मगढ़ केस इससे सीधे जुड़ा दिखता है)।
2. **स्कूल-सहयोग का अभाव:** कुछ निजी स्कूल आरटीई की 25% सीटें भरने में आनाकानी करते हैं—क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का भुगतान देर से आएगा/कम होगा, या वे 'क्वालिटी' के नाम पर चयन को अस्वीकार कर देते हैं। राज्य के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में निजी स्कूलों द्वारा विरोध/असहयोग की खबरें आईं।
3. **वित्तीय प्रोत्साहन और भुगतान-विलंब:** राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली प्रतिमाह राशि, भुगतान की समयसीमा और भुगतान की पारदर्शिता में कमी स्कूलों को असहज करती है; इससे वे आरटीई के प्रति कम उदासीन होते हैं।
4. **दस्तावेज़ीकरण और अभिभावक जागरूकता:** कई परिवार योग्य होने पर भी दस्तावेज़ न होने या सही तरीके से प्रस्तुत न करने के कारण चयन/प्रवेश बनते-बिगड़ते रह जाते हैं। स्थानीय स्तर पर अभिभावकों को सही मार्गदर्शन की कमी एक बड़ा कारण है।

9. प्रभाव :-

- सीधे तौर पर जिन बच्चों का प्रवेश असमय/अनुपस्थित रहता है, वे शैक्षिक वर्ष चूकते हैं — यह सीखने और भविष्य की शैक्षिक प्रगति पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।
- आरटीई के प्रति सामाजिक भरोसा कमजोर होता है अगर प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूरे साल विफल रहती हैं।
- समग्र रूप से, यदि 25% आरक्षण केवल कागजी तौर पर रह जाए और वास्तविक शिक्षा-प्रवेश नहीं मिले, तो नीति की समावेशी भावना कमजोर पड़ती है।

10. स्थानीय-कार्यनीतियाँ :-

1. **ऑन-लाइन लॉटरी व ट्रेकिंग पोर्टल:** पारदर्शिता बढ़ाने में मददगार—पर ऑन-ग्राउंड फॉलो-अप की आवश्यकता है।
2. **जिला-स्तरीय निर्देश व प्रशासनिक कार्रवाई:** जैसे कि बीएसए/बीईओ के निर्देश और कुछ जिलों में अभिभावक शिकायतों पर शीघ्र संज्ञान लें — पर यह अनियमित है और सभी जिलों में समान नहीं। (आज़मगढ़ में स्थानीय रिपोर्ट ने प्रशासनिक देरी की बात उठायी)।
3. **निगरानी-रिपोर्टिंग (UDISE+):** बेहतर डेटा उपलब्धता से नीति-निर्धारक ज़मीनी स्तर के मुद्दों को पहचान सकते हैं; पर यह तभी प्रभावी होता है जब डेटा-आधारित कार्रवाइयाँ की जाती हों।

11. निर्णायक सुझाव :-

नीचे दिए सुझाव प्रायोगिक (operational) और नीति-स्तर (policy) दोनों हैं, ताकि वाराणसी और आज़मगढ़ जैसी जिलागत विषमताओं का सामना किया जा सके:

11.1 प्रशासनिक त्वरक (Administrative fixes)

- **एडमिशन-सिस्टम में 'एंड-टू-एंड' ट्रेकिंग:** ऑन-लाइन चयन के बाद विद्यालय-स्तर पर लिंक-अप और वास्तविक प्रवेश तक एक डिजिटल ट्रैक जारी रखा जाए; समयबद्ध अलर्ट (SMS/IVR) अभिभावकों को भेजे जाएँ। (UP-RTE पोर्टल के मॉड्यूल का विस्तार)।
- **स्थानीय नोडल-ऑफिसर नियुक्ति:** प्रत्येक बीईओ कार्यालय में RTE-नोडल अधिकारी जो सूची का फॉलो-अप करे और अभिभावकों के साथ समन्वय बनाए रखे। (आज़मगढ़ में जहाँ सूची न पहुँचने की बातें आईं, वहाँ यह सहायक होगा)।

11.2 वित्तीय और पुरस्कार-संरचना

- **समयबद्ध रीइम्बर्समेंट (reimbursement):** सरकारें सुनिश्चित करें कि निजी स्कूलों को तय शुल्क समय पर मिले; भुगतान-पारदर्शिता से स्कूलों का सहयोग बढ़ेगा। (UP में भुगतान-विलंब की खबरों ने यही सुझाव जगाया)।
- **इन्सैटिव-पर दृष्टिकोण:** ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त छोटे प्रोत्साहन (monitoring-linked grants) दें जो आरटीई सीटें समय पर भरते और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हों।

11.3 जागरूकता और दस्तावेजी सहायता

- **अभिभावक मार्गदर्शन सेल्स:** ग्राम/वार्ड स्तर पर camps आयोजित कर के दस्तावेज़/पंजीकरण सहायता दें—कई योग्य बच्चे केवल कागजी समस्या के कारण छूट जाते हैं।

11.4 निगरानी-एंड-जवाबदेही

- **पारदर्शी शिकायत निवारण:** RTE पोर्टल पर प्रत्येक आवेदन/सीट के लिए grievance redressal टिकट और SLA (service level agreement) टाइमलाइन होनी चाहिए; अनुत्तरित मामलों पर स्वतः अलर्ट और प्रशासनिक रिपोर्ट।
- **नियमित फ़ील्ड निरीक्षण:** जिलास्तर पर अनाधिकृत/खराब स्थिति वाले संस्थानों की पहचान और नियमानुसार कार्यवाही। (Mau/Varanasi के आस-पास ऐसे उल्लंघन की खबरें आईं)।

11.5 दीर्घकालिक रणनीतियाँ

- **सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता-बढ़ोतरी:** RTE केवल निजी स्कूलों में समावेशन नहीं है; सार्वजनिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने से विकल्प मजबूत होंगे और निजी-सिस्टम पर दबाव घटेगा। UDISE+ के आंकड़े सुधार-फोकस की दिशा में मार्गदर्शक हैं।

12. संभावित सीमाएँ :-

- स्थानीय-स्तरीय डेटा (जैसे वाराणसी/आजमगढ़ स्कूल-वार UDISE टाइम-सीरीज़) यहाँ संक्षेप में उद्धृत किए गए हैं; गहन जिलेवार सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए UDISE+ का द्वितीयक डेटा डाउनलोड कर के विस्तृत तालिकाएँ निकाली जानी चाहिए।
- मीडिया रिपोर्टों पर आधारित घटनात्मक निष्कर्ष स्थानीय-विविधताओं को उजागर करते हैं पर वे समय-समय पर बदल सकते हैं — वास्तविक-समय सत्यापन के लिये जिला प्रशासन/बीएसए से प्राथमिक सूचना की आवश्यकता होगी।

13. निष्कर्ष :-

RTE अधिनियम ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक तथा समावेशी बनाने का दिशा-निर्देश दिया — कानूनी और नैतिक रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। पर उसके सफल कार्यान्वयन के लिये केवल कानून नहीं, बल्कि **निगरानी, तेज वित्तपोषण, स्थानीय-प्रशासनिक दक्षता, और स्कूल तथा समुदाय के सक्रिय समन्वय** की आवश्यकता है। वाराणसी जैसे जिलों में आवेदन-संख्या और जागरूकता ने सकारात्मक संकेत दिए हैं; पर आजमगढ़ जैसे जिलों में चयनित बच्चों का वास्तविक प्रवेश न हो पाना यह स्पष्ट करता है कि ऑन-लाइन/कागजी चयन से आगे का फॉलो-अप नितांत आवश्यक है। नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे UDISE+ जैसे डेटा-टूल्स का उपयोग कर जिला-स्तर की ‘हॉट-स्पॉट’ पहचान करें और लक्षित दखलंदाज़ियाँ लागू करें — ताकि RTE का सचमुच का लाभ उन बच्चों तक पहुँचे जिन्हें यह अधिकार देता है।

14. संदर्भ :-

1. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 — आधिकारिक पाठ (Government of India / Ministry of Education).
2. UDISE+ रिपोर्ट और डैशबोर्ड (Ministry of Education / UDISE+), UDISE+ Booklet 2022-23 / 2023-24।
3. Uttar Pradesh RTE portal (rte25.upsdc.gov.in) — पंजाब/UP RTE एडमिशन पोर्टल अनुभव-निर्देश/लिस्टिंग।
4. Azamgarh-specific news: “RTE — चयन के बाद भी छह सौ बच्चों को नहीं मिला प्रवेश” — LiveHindustan / स्थानीय रिपोर्ट (जून 2025) — स्थानीय कार्यान्वयन की समस्या का उदाहरण।
5. Varanasi / Uttar Pradesh RTE आवेदन-रुझान: Times of India रिपोर्ट (2025) — बड़े राज्यों/जिलों में RTE आवेदनों की संख्या।
6. Hindustan Times रिपोर्ट्स — UP में RTE से जुड़ी भुगतान/नामांकन आँकड़ों पर विश्लेषण।
7. ASER (Annual Status of Education Report) 2022/2023 — प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के व्यावहारिक संकेत।